

05
20/3/25

रिपोर्ट पटवारी हल्का बखार... तहसील गिर्वा...

प्रार्थनापत्र में अंकित खाता सं०, आराजी नम्बर एवं रकबा सही है। खाते में प्रार्थी खातेदार का नाम राजीम पिता रामा दर्ज है।

खाते की नकल सलंगन है। शहू बखार खता सं. 16
प्रार्थी का नाम दुरस्त कर राजीम पिता रामा

की जगह राजमल्ल पिता रामा किया जाना उचित होगा।
मिर्चर सिंह राजपूत
पटवारी

अभिलेख

उक्त खाते में खातेदार का नाम राजीम पिता रामा
हस्ताक्षर पटवारी बखार
तह. गिर्वा, जिला-उदयपुर

के बजाय राजमल्ल पिता रामा अंकित करने की सिफारिश की जाती है।

राजमल्ल

तहसील गिर्वा, जिला-उदयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा...

आदेश अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

क्रमांक : राजस्व/अभियान/2008/ 1212 दिनांक : 17/3/2008

प्रार्थनापत्र में अंकित खाते के खातेदार का नाम दुरस्त कर राजीम पिता रामा के स्थान पर श्री राजमल्ल पिता रामा दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही कर पात्रमा प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी/प्रभारी अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर (राज.)

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार/नायब तहसीलदार गिर्वा को पालनार्थ।
2. प्रार्थी श्री
3. रक्षित पत्रावली

उपखण्ड अधिकारी/प्रभारी अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर (राज.)